



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 4, 2010/आश्विन 12, 1932

No. 558]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 4, 2010/ASVINA 12, 1932

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2010

सा.का.नि. 810(अ).—कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित कयर उद्योग नियम, 1954 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की तारीख 17 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 521(अ) में प्रकाशित किया गया था और उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से पंद्रहवां दिन की अवधि समाप्त होने से पहले उन व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गये थे;

उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 17 जून, 2010 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है ;

अतः अब कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार कयर उद्योग नियम, 1954 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कयर उद्योग (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कयर उद्योग नियम, 1954 के, नियम 15 में,—

(i) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) बोर्ड कयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत अपने कृत्यों का निर्वहन के लिए वस्तुओं की कय करने, परामर्शियों को नियुक्त करने, तकनीकी सहयोग और ऐसे ही अन्य के संबंध में सविदा कर सकेगा :

परन्तु प्रत्येक सविदा जिसका विस्तार तीन वर्ष की अवधि से अधिक हो या जिसमें छः लाख रु. प्रति वर्ष से अधिक का व्यय अंतर्वलित हो, पर केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी :

परन्तु यह और कि प्रत्येक सविदा या तकनीकी सहयोग के लिए सविदा या विदेशी फर्मों के साथ परामर्शी सेवाओं या विदेशी व्यक्तियों या विदेशी सरकारों के साथ की गई सविदा में केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी :

परन्तु यह और भी कि परामर्शी सेवाएं जिनमें पचास हजार रु. प्रति माह से अधिक का व्यय अंतर्वलित हो, पर केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी :

परन्तु यह और भी कि किसी प्रकार की सविदा या परामर्शी सेवाएं आरम्भ करते समय निष्ठापूर्वक साधारण वित्तीय नियमों के उपबंधों का अनुपालन भी किया जाए";

(ii) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) बोर्ड उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सविदाएं करने की उपर्युक्त शक्ति यथास्थिति, अध्यक्ष या सचिव या पावर लूम फैक्ट्री के लिए कच्ची सामग्री का क्रय करने के मामले में पावर लूम फैक्ट्री के कताई मास्टर को, उसके निमित्त सविदा करने के लिए शक्तियां, आदि वैध उचित समझता है, प्रत्यायोजित कर सकेगा।"

[फा. सं. 6(9)/2009-कयर]/312

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

विषय : ऊवर उद्योग नियम, 1954, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.नि.आ. संख्यांक 2226(अ) तारीख 5 जुलाई, 1954 के अधीन, प्रकाशित किए गए थे और परचतावती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए थे :—

- (1) का.नि.आ. 973, तारीख 29-04-1955
- (2) का.नि.आ. 3983, तारीख 12-12-1955
- (3) का.नि.आ. 3669, तारीख 17-12-1955
- (4) का.नि.आ. 877, तारीख 09-04-1960
- (5) सा.का.नि. 1088, तारीख 18-06-1963
- (6) का.आ. 1744, तारीख 06-05-1967
- (7) का.आ. 2983, तारीख 21-07-1969
- (8) सा.का.नि. 1122, तारीख 09-07-1976
- (9) सा.का.नि. 1588, तारीख 28-09-1976
- (10) सा.का.नि. 2498, तारीख 30-05-1983
- (11) सा.का.नि. 390(अ), तारीख 22-03-1990
- (12) सा.का.नि. 832(अ), तारीख 29-10-1992
- (13) का.आ. 44(अ), तारीख 15-01-1996
- (14) का.आ. 474(अ), तारीख 28-05-1998
- (15) का.आ. 1199(अ), तारीख 28-10-2004
- (16) का.आ. 597(अ), तारीख 16-03-2010

**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES
NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th October, 2010

G.S.R. 810(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Coir Industry Rules, 1954, was published as required by sub-section (1) of section 26 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) in the notification of Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number G.S.R. 521(E), dated the 17th June, 2010 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 17th June, 2010;

And whereas some suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coir Industry Rules, 1954, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Coir Industry (Seventeenth Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coir Industry Rules, 1954, in rule 15,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) The Board may enter into contracts relating to purchase of the goods, engagement of the consultants, technical collaboration and the like for the discharge of its functions under the Coir Industry Act, 1953:

Provided that every contract for consultancy services which extends over a period of more than three years or involves consultancy fee in excess of rupees six lakh per annum shall require the previous sanction of the Central Government:

Provided further that every contract or contract for technical collaboration or consultation services with foreign firms or foreign individuals or foreign Governments shall require the previous sanction of the Central Government:

Provided also that consultancy services which involve consultancy fee in excess of rupees fifty thousand per month shall require the previous sanction of the Central Government:

Provided also that the provisions of General Financial Rules shall be followed scrupulously while entering into contracts or consultation services”;

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(2) The Board may delegate the aforesaid power to enter into contracts referred to in sub-rule (1) to the Chairman or the Secretary or in the case of purchase of raw materials for a power loom factory to the Weaving Master of the Power Loom Factory, such power for entering into contracts on its behalf as it may think fit.”

[F. No. 6(9)2009-Coir]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

Note: The Coir Industry Rules, 1954 were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number S. R. O. 2226, dated the 5th July, 1954 and subsequently amended, vide, numbers :—

- (1) S.R.O. 973, dated 29.04.1955
- (2) S.R.O. 3983, dated 12.12.1955
- (3) S.R.O. 3669, dated 17.12.1955
- (4) S.R.O. 877, dated 09.04.1960
- (5) G.S.R. 1088, dated 18.06.1963
- (6) S.O. 1744, dated 06.05.1967
- (7) S.O. 2983, dated 21.07.1969
- (8) G.S.R. 1122, dated 09.07.1976
- (9) G.S.R. 1588, dated 28.09.1976
- (10) G.S.R. 2498, dated 30.05.1983
- (11) G.S.R. 390 (E), dated 22.03.1990
- (12) G.S.R. 832 (E), dated 29.10.1992
- (13) S.O. 44 (E), dated 15.01.1996
- (14) S.O. 474 (E), dated 28.05.1998
- (15) S.O. 1199 (E), dated 28.10.2004
- (16) S.O. 597 (E), dated 16.03.2010